

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक:एफ.8(1)(11)/निर्वा/2024/1697

जयपुर, दिनांक: 8.4.26

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय: Guidelines on postal ballot papers in a General/Bye Election to the House of the People/Legislative Assemblies of the States/UTs – Polling Day arrangement of deposit mobile phones at Facilitation Centres and Postal Voting Centres – reg.

प्रसंग: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक No.52/2026/SDR/Vol.III दिनांक 01.04.2026 एवं 23.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रासंगिक निर्देश दिनांक 01.04.2026, विधानसभा-लोकसभा के लिए समस्त रिटर्निंग अधिकारियों, चुनाव अधिकारियों एवं अन्य सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाए जाकर और उनका सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित है। सुलभ सन्दर्भ हेतु आयोग के निर्देश दिनांक 01.04.2026 का हिन्दी अनुवाद संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(सुरेश चन्द्र)

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.8(1)(11)/निर्वा/2024/1697

जयपुर, दिनांक: 8.4.26

प्रतिलिपि निम्न को आयोग के पत्र दिनांक 01.04.2026 की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, राजस्थान।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
4. समस्त विभागीय अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा-प्रथम, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।



सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 01.04.2026 का हिन्दी अनुवाद

मुझे आपका ध्यान कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के नियम 18A की ओर दिलाने के लिए कहा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन इयूटी पर मौजूद वोटर्स को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा बताए गए फैसिलिटेशन सेंटर पर अपना पोस्टल बैलेट लेना, रिकॉर्ड करना और वापस करना होगा।

- 2- इस नियम के तहत, कमीशन ने अपने लेटर नंबर 52/2023/SDR/Vol.IV, तारीख 31.10.2023 के जरिए निर्देश दिया है कि इलेक्शन इयूटी पर तैनात सभी वोटर अपना वोट फैसिलिटेशन सेंटर (FCs) पर डालेंगे, किसी और तरीके से नहीं। इसे देखते हुए, ट्रेनिंग जगहों और रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं ताकि इलेक्शन इयूटी पर तैनात वोटर पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल सकें। इसके अलावा, अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े अनुपस्थित मतदाताओं (AVES) के लिए पोस्टल वोटिंग सेंटर (PVCs) बनाए गए हैं ताकि वे पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल सकें।
- 3- आपका ध्यान आयोग के लेटर नंबर 464/INST/EPS/2025/L&O दिनांक 23.05.2025 में दिए गए निर्देश की ओर भी दिलाया जाता है, जिसमें पोलिंग स्टेशनों पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा दी गई है।
- 4- इसी तर्ज पर, कमीशन ने तय किया है कि मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर (FCs) और पोस्टल वोटिंग सेंटर (PVCs) पर दी जाएगी।
- 5- सभी सुविधा केंद्रों (FCs) और पोस्टल वोटिंग केंद्रों (PVCs) पर निम्न उपाय लागू किए जाएंगे: -
 - a) FC/PVC के अंदर वोटिंग एरिया के एंट्रेंस पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा दी जाएगी, ताकि वोटर अपनी पहचान के लिए पोलिंग अधिकारी के पास जाने से पहले अपने मोबाइल फोन को सिर्फ स्विच ऑफ मोड में ही जमा करें।
 - b) 10 वोटर्स के लिए मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा दी जा सकती है।
 - c) इस मकसद के लिए, FC/PVC के वोटिंग एरिया के एंट्रेंस पर 10 कम्पार्टमेंट वाला एक छोटा पिजन-होल बॉक्स या छोटी जेब वाला जूट का बैग रखा जा सकता है (कुछ सैंपल डिज़ाइन कमीशन के 23.05.2025 के इंस्ट्रक्शन में Annexure-I में दिए गए हैं)।
 - d) किसी भी हालत में, किसी भी वोटर को FC/PVC के वोटिंग कम्पार्टमेंट के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी।
 - e) डिपॉज़िट की सुविधा सिर्फ FC/PVC के वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाने वाले वोटर्स के लिए होगी और यह किसी और व्यक्ति (पोलिंग एजेंट, पोलिंग ऑफिसर, वगैरह सहित) के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

- f) किसी ज़िम्मेदार चुनाव अधिकारी को डिपॉजिट सुविधा संभालने का काम सौंपा जा सकता है।
 - g) 2" x 2" साइज़ के 10 (दस) पहले से नंबर वाले पेपर/कार्डबोर्ड टोकन का एक सेट, जिस पर फैसिलिटेशन सेंटर या पोस्टल वोटिंग सेंटर के इंचार्ज का पहले से साइन होगा, FC/PVC के वोटिंग कम्पार्टमेंट के बाहर मोबाइल फ़ोन इकट्ठा करने के मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार ऊपर बताए गए चुनाव अधिकारी को दिया जाएगा।
 - h) FC/PVC के वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाने से पहले, वोटर को अपना मोबाइल फ़ोन डिपोजिट करने हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधा (Depositing Facility) में जमा करना होगा और टोकन लेना होगा।
 - i) वोट डालने और FC/PVC के वोटिंग कम्पार्टमेंट से बाहर आने के बाद, टोकन वापस करने पर वोटर अपना मोबाइल फ़ोन वापस ले लेगा।
 - j) अगर कोई वोटर अपना मोबाइल फ़ोन वापस लेना भूल जाता है, तो मोबाइल फ़ोन कलेक्शन मैनेज करने के लिए ज़िम्मेदार ऊपर बताया गया चुनाव अधिकारी, मतदान खत्म होने के बाद, इन मोबाइल फ़ोन को संबंधित FC/PVC के फैसिलिटेशन सेंटर या पोस्टल वोटिंग सेंटर के इंचार्ज को सौंप देगा। FC/PVC का इंचार्ज ऐसे वोटर द्वारा टोकन दिखाने पर स्वयं की संतुष्टि पश्चात मोबाइल फ़ोन वापस कर देगा।
- 6- इसलिए, आपसे अनुरोध है कि ऊपर दिए गए निर्देशों को जिला चुनाव अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाएं और उनका सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 52/2026/SDR/Vol.III

Dated: 1st April, 2026

To,

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories

Subject: Guidelines on postal ballot papers in a General/ Bye Election to the House of the People /Legislative Assemblies of the States/ UTs - Polling Day arrangement to deposit mobile phones at Facilitation Centres and Postal Voting Centres - regarding.

Ref. : Commission's instruction issued vide letter no. 464/INST/EPS/2025/L&O dated 23.05.2025 regarding polling day arrangements to deposit mobile phones at polling station.

Madam/Sir,

I am directed to invite your attention to the provisions of Rule 18A of the Conduct of Elections Rules, 1961, which stipulate that voters on election duty shall receive, record, and return their postal ballot at the Facilitation Centre specified by the Returning Officer.

2. In pursuance of this rule, the Commission vide its letter No. 52/2023/SDR/Vol.IV dated 31.10.2023 has directed that all the Voters on Election Duty shall cast their votes at the Facilitation Centres (FCs) and not in any other manner. In view of this, Facilitation Centres are established at training venues and at the office of the Returning Officer to facilitate Voters on Election Duty to cast their vote through postal ballot. Further, Postal Voting Centres (PVCs) are established for absentee voters belonging to essential services (AVES) to enable them to cast their vote through postal ballot.

3. Your attention is also invited to the Commission's instruction contained in letter No. 464/INST/EPS/2025/L&O dated 23.05.2025, wherein the mobile phones depositing facility has been provided at polling stations.

4. On the same analogy, the Commission has decided that the mobile phones depositing facility shall be provided at the Facilitation Centres (FCs) and Postal Voting Centres (PVCs).

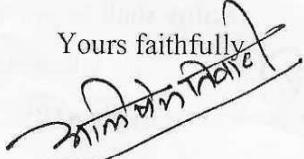
5. The following measures shall be implemented at all Facilitation Centres (FCs) and Postal Voting Centres (PVCs): -

- a) A facility to deposit mobile phones shall be provided at the entrance of the voting area inside the FC/ PVC to ensure that electors deposit their mobile phones in switched off mode only, before approaching the polling official for his/ her identification.

- b) Facility to deposit mobile phones may be provided for 10 voters.
- c) For this purpose, a small pigeon-hole box with 10 compartments or a jute bag having small pockets may be kept at the entrance of the voting area of FC/ PVC (some sample designs are enclosed at Annexure-I in Commission's instruction dated 23.05.2025).
- d) In any case, mobile phones shall not be allowed to be carried inside the voting compartment of FC/ PVC by any voter.
- e) Deposit facility shall be provided only for the voters entering into the voting compartment of FC/ PVC and shall not be available for any other persons (including polling agents, polling officers, etc.).
- f) A responsible election official may be assigned the work of managing the deposit facility.
- g) A set of 10 (ten) pre-numbered paper/cardboard tokens of size 2" x 2", pre-signed by the Incharge of the Facilitation Centre or the Postal Voting Centre as the case maybe, will be provided to the aforementioned election official responsible for managing the collection of mobile phones outside the voting compartment of FC/ PVC.
- h) Before entering the voting compartment of FC/ PVC, the voter shall deposit the mobile phone at the depositing facility and take a token.
- i) After casting the vote and coming out of the voting compartment of FC/ PVC, the mobile phone will be taken back by the voter on return of the token.
- j) In case any voter forgets to take back his/ her mobile phone, the aforementioned election official responsible for managing mobile phone collection shall hand over these mobile phones to the Incharge of the Facilitation Centre or the Postal Voting Centre as the case maybe, of the respective FC/ PVC after the end of poll. The Incharge of the FC/ PVC shall return the mobile phone to such voter on production of the token after satisfying himself/ herself.

6. You are, therefore, requested to bring the above instructions to the notice of District Election Officers, Returning Officers and all other concerned officers/officials and ensure strict compliance.

Yours faithfully,


(Abhishek Tiwari)
Under Secretary